

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri\_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 217 / 12-1L2) नई टिहरी, दिनांक- 28/07/ 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑन लाईन पत्रावली सं0-FP/UK/ROAD/8911/2014)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या:-8बी/यू0सी0पी0/06/286/2015/एफ0सी0/1948, दिनांक:-20-02-2018, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक:-2933/FP/UK/ROAD/8911/2014, दिनांक:-22-02-2018 एवं आपका कार्यालय पत्रांक:-1241/13एम0जी0, दिनांक:-24-07-2018।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक:-2815/12-1, दिनांक:-13-06-2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत मांग पत्र के सम्बन्ध में आपके द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि ऑन लाईन नोडल कार्यालय द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण की मांग को संशोधित करने के लिए आपलित लगाई गई है। अतः पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-01 का निम्न प्रकार अनुपालन किया जायेगा:-

- 1- शासन की शर्त सं0-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी 4.2 हे0 ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु0-11,70,393.00 (ग्याहर लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरनबे रूपये मात्र) जमा की जायेगी। मांग की गई धनराशि का संशोधित विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन (संशोधित)

- 1- हस्तान्तरित वन भूमि- 2.1 हे0  
2- हस्तान्तरित वन भूमि के विरुद्ध दोगुना प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि- 4.2 हे0  
3- प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर- मु0-2,78,665.00 (दो लाख अठहत्तर हजार छः सौ पैसठ रूपये मात्र)  
4- प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु मांग-4.2 हे0 X 2,78,665.00=11,70,393.00 (ग्याहर लाख सत्तर हजार तीन सौ तिरनबे रूपये मात्र)

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.2 हे0 ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लेने से सम्बन्धित अमल दरामद प्रमाण पत्र मय नक्शा खसरा चार प्रतियों में प्रेषित करना होगा।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक:-2815/12-1, दिनांक:-13-06-2018 से प्रेषित मांग पत्र के बिन्दु संख्या-01 के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं का अनुपालन उसी प्रकार किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या-01 का अनुपालन उपरोक्त अनुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संख्या : 217 /

दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri\_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 2815/12-1

नई टिहरी, दिनांक- 13/6/ 2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
चम्बा, टिहरी गढवाल।

विषय:- जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑन लाईन पत्रावली सं०-FP/UK/ROAD/8911/2014)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या:-8वी/यू०सी०पी०/06/286/2015/एफ०सी०/1948, दिनांक:-20-02-2018, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक:-2933/FP/UK/ROAD/8911/2014, दिनांक:-22-02-2018 एवं आपका पत्रांक:-847/13एम०जी०, दिनांक:-31-05-2018।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के लिए उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक:-1862/12-1, दिनांक:-16-03-2018 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है जिस पर कि ऑन लाईन नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति लगाने के कारण आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार विन्दुवार अनुपालन किया जायेगा:-

1- शासन की शर्त सं०-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दोगुनी 4.2 है० ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) मु०-10,63,994.00 (दस लाख तिरसठ हजार नौ सौ चौरानवै रू० मात्र) जमा की जायेगी। मांग की गई धनराशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

#### प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन

- 1- हस्तान्तरित वन भूमि- 2.1 है०
- 2- हस्तान्तरित वन भूमि के विरुद्ध दोगुना प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि- 4.2 है०
- 3- प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दर- मु०-2,53,332.00 (दो लाख त्रेप्पन हजार तीन सौ बत्तीस रू० मात्र)
- 4- प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु मांग-4.2 है० X 2,53,332.00=10,63,994.40  
या मु०-10,63,994.00 (दस लाख तिरसठ हजार नौ सौ चौरानवै रू० मात्र)

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.2 है० ग्राम ग्वाड सिविल सोयम भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने के फलस्वरूप क्षेत्र के वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लेने से सम्बन्धित अमल दरामद प्रमाण पत्र मय नक्शा खसरा चार प्रतियों में प्रेषित करना होगा।

2- शासन की शर्त सं०-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक:-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि मु०-17,74,500.00 (सत्रह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ रुपये मात्र) जमा किया जायेगा, जिसकी मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमशः-2-



**एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन**

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है" :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी - V
- 2- हरियाली का घनत्व - 0.5
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 - मु0-8,45,000.00 (आठ लाख पैन्तालिस हजार रुपये मात्र)
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल -2.1 है0
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि - 2.1 है0X8,45,000.00=17,74,500.00  
(सत्रह लाख चौहत्तर हजार पांच सौ रू0 मात्र)

3- शासन की शर्त सं0-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आशय की वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे की यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- शासन की शर्त सं0-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किया जायेगा। अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।


5- शासन की शर्त सं0-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सडक निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation कराये जाने की आशय की वचन बद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

6- शासन की शर्त सं0-06 के अनुपालन में User Agency will submit FRA certificate along with all annexures in chronological order.

7- शासन की शर्त सं0-07 के अनुपालन में User Agency will submit original hard copy of Part-V to this office.

अतः शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,



~~प्रमाणीय~~ वनाधिकारी,  
टिहरी, वन प्रभाग,  
नई टिहरी

संख्या : / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रांक 1004 / 13 एम.जी. 15-113 20-6-18

प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता II को एक अंश प्रमाणित वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

वन प्रभाग देहरादून  
File  
19/6/18